PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Rashtriya Sahara, Delhi
Wed, 21 Jun 2017, Page 11
Width: 12.62 cms, Height: 10.92 cms, a4, Ref: 39.2017-06-21.119

डेढ़ लाख से अधिक व्यवसायियों ने किया जीएसटी में माइग्रेट

सहारा न्यूज ब्यूरो

पटना।

वैसे तो देश में एक जुलाई से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) लागू होगा। 30 जून की मध्य रात्रि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी घंटा बजाकर जीएसटी प्रणाली लागू करेंगे। इससे देश के सभी राज्यों में एक समान कर प्रणाली लागू हो जाएगी। जीएसटी लागू होने से पहले ही राज्य सरकार की ओर से व्यवसायियों को जीएसटी के बारे में समझाने के साथ ही उन्हें जीएसटी के फायदे और नुकसान के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। बिहार में नवम्बर माह से ही इस दिशा में पहल शुरू कर दी गई थी। वाणिज्य कर विभाग के अनुसार राज्य में दो लाख 29 हजार व्यवसायी कर के दायरे में आते हैं। इसमें दो लाख 10 हजार व्यवसायी राज्य सरकार के वाणिज्य कर विभाग में निबंधित हैं। निबंधित व्यवसायियों में एक लाख 55 हजार व्यवसायी पुरानी कर पद्धति को छोड़ कर जीएसटी में माइग्रेट कर चुके हैं। वाणिज्य कर विभाग के आधिकारियों के अनुसार पुराने कर से जीएसटी में माइग्रेट करने वालों में 60 हजार व्यवसायी बचे हुए हैं। इनमें दो से ढाई हजार वैसे व्यवसायी हैं, जो 20 लाख रुपये से कम के दायरे में आते हैं।

25 जून तक चलेगी प्रक्रिया